

C.F.18-615

(S)

निगरानी 2003-PBR-15

पुनरीक्षण क्रं. : /2015

प्रस्तुति दिनांक : 17/06/2015

माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर के समक्ष (इन्दौर केम्प)

मेसर्स ईशान टाऊनशिप प्रा.लि.
द्वारा प्रबंध निदेशक—प्रमोद बारसिंगे
पिता श्री डी.वी. बारसिंगे,
पंजीकृत कार्यालय : मालवा टॉवर,
7, अशोक नगर, भंवरकुआ मेनरोड, इन्दौर (म.प्र.)

-- प्रार्थी

श्री श्रीतेज श्रीवास्तव
अभिभावक द्वारा
आज दिनांक
17-6-15 को
इन्दौर केम्प पर
उपर्युक्त
प्रार्थी की ओर सादर निवेदन है कि:-
17-6-15

विरुद्ध

म.प्र. शासन
तर्फ अनुविभागीय अधिकारी,
राजस्व अनुभाग—डॉ. अम्बेडकर नगर, महू
जिला—इन्दौर (म.प्र.)

-- प्रतिप्रार्थी

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत

प्रार्थी की ओर सादर निवेदन है कि:-


प्रार्थी श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय, जिला—इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/स्व.—निगरानी/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2015 जिसके द्वारा प्रार्थी कंपनी को जारी कालोनी विकास अनुमति दिनांक 19.06.2014 को निरस्त किया गया है, से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

26/6/15

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी १००३—पीबीआर / 15

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-6-2015	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 24-4-2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अपर कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये म० प्र० पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1999 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः इस निगरानी प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अग्रहय किया जाता है।</p>	 (मनोज गोयल) अध्यक्ष